

RBA No.01/2024

No. 2018/AC-II/21/2/ARPAN

New Delhi, dated 02.01.2024

Pr.Financial Advisors,
All Zonal Railways & PUS


Sub:- Reconciliation of pension debits - Migration from ARPAN to
IPAS.

Ref: CRIS letter No.2017/CRIS/NDLS-HQ /AIMS /ARPAN /0059
/Pt-1 dated 20.12.2023.

As you are aware, the activity of development of utility for reconciliation of e-pension debit scrolls under IPAS and its integration with Bank's server was under way at CRIS. Consequent upon readiness of this module, it has now been decided to carry out the pension reconciliation exercise in IPAS. This module (named as ARPAN module under IPAS) shall also facilitate creation of Pension Revision functionality for employees who retired before the implementation of IPAS and whose pension are yet to be revised.

It is therefore, advised that necessary directives may be issued to all concerned in this regard. ARPAN team of Western Railway may be approached for any support required to Railways during the migration process.

This issues with the approval of competent authority.



(Ajay Bartwal)

Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No. 011-23047018

E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

Copy to: GM/AIMS/CRIS

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

सं. 2018/एसीII/21/2/एआरपीएएन

आरबीए सं. 01/2024
नई दिल्ली, दिनांक 02.01.2024

प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां

विषय: पेंशन डेबिट का समाधान - एआरपीएएन से आईपास(आईपीएएस) में प्रवासन।

संदर्भ: क्रिस का दिनांक 20.12.2023 का पत्र सं. 2017/क्रिस/एनडीएलएस-
एचक्यू/एआईएमएस/एआरपीएएन/0059/पार्ट-1

जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएएस के अंतर्गत ई-पेंशन डेबिट स्कूलों के समाधान की उपयोगिता विकास तथा बैंक के सर्वरों के साथ उसके एकीकरण की गतिविधि क्रिस में जारी थी। इस मॉड्यूल की तैयारी के परिणामस्वरूप अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन समाधान प्रक्रिया आईपास (आईपीएएस) में किया जाए। यह मॉड्यूल (आईपास के अंतर्गत एआरपीएएन के नाम से) आईपास के कार्यान्वयन से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों तथा जिनकी पेंशन में अभी परिशोधन किया जाना है, के पेंशन परिशोधन कार्य के सृजन में भी सुविधा प्रदान करेगा।

इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि सर्वसंबंधितों को इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी किए जाएं। प्रवासन प्रक्रिया के दौरान रेलों को आवश्यक किसी भी सहायता के लिए पश्चिम रेल की एआरपीएएन टीम से संपर्क किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(अजय बर्तवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष 011-23047018

ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित: महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस